APP-A
Crime-1

Form-III
फर्द अहकाम

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाड़ा

बनाम रमेश पिता हकरी मीना जाति पाखाट का गांव

किस्म मुकदमा :– धारा 25 I A R T A

प्रकरण संख्या 359/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
21/9/17	पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी रतिलाल पिता [illegible] जाति भारतीय निवासी गढी ने अन्तर्गत धारा 25 I A R T A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी रमेश पिता हकरी मीना निवासी गढी के विरूद्ध वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 25/10/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाड़ा	
25/10/17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी सम्पर्क 4, 5, 6 की ओर से वकील प्रतिवादी ने वकालत पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। P.O. साहब गांववाले विजिट में पधारे है। पत्रावली ईजिलास आदेशादे हेतु दिनांक 27/11/17 को पेश हो।	
27/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकील्स मिसिल उपखण्ड अधिकारी गढी P.O. साहब अवकाश पर पत्रावली ईजिलास आदेशादे हेतु दिनांक 20/12/17 को पेश हो।	
20/12/17	पत्रावली पेश हुई। वकील्स उपखण्ड अधिकारी गढी P.O. साहब अवकाश पर पत्रावली ईजिलास आदेशादे हेतु दिनांक 17/1/18 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। वकील्स उपखण्ड अधिकारी गढी P.O. साहब अवकाश पर पत्रावली ईजिलास आदेशादे हेतु दिनांक 12/2/18 को पेश हो।	

अनुलाग उपाधिक) को प्रार्थी अभिप्राप्तक द्वारा
।मि 1 का तलबाना पेश किया गया। स
पत्रावली दिनांक 2.4.18 को पेश हो।

2.4.18 पत्रावली पेश हुई। अनुलाग उपाधिक
अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि उक्त
सम्बन्धित समान पक्षकार एवं सर्वे नम्बरान
संख्या 247/2017 पूर्व से विचाराधीन है। उ
प्रकरण में कार्यवाही इसी स्टेज पर होन
आज दावेला दाखिल किया जाना है